न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–29/2021

कैलाश भर.....वादी

बनाम

सतन भर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 28.09.2022 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 02.11.2022 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है तथा पक्षकार इस मुकदमा को आगे लड़ना नही चाहते है। सुलहनामा लिखने के दौरान पक्षकारों से बातचीत के दौरान पता चला कि कुछ भूमि पूर्व में पक्षकारों के द्वारा बिक्री की जा चुकी है। उस भूमि को भी इस मुकदमें में शामिल कर दिया गया है। साथ ही कुछ शब्द टंकक की गलती से नालिश में टंकित हो गया है। जो भूमि पक्षकारों के द्वारा पूर्व में बिक्री की जा चुकी है। उसे सुलहनामा दाखिल करने के पूर्व नालिश से कलमजद कर देना आवश्यक है। ताकि इस मुकदमें में सुलह करने मे कोई परेशानी न हो। दाखिल संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे मुकदमें की प्रकृति पर कोई असर नही पड रहा है। अतः प्रार्थना है कि मुदई के द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसार संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। उपस्थित प्रतिवादीगणों की ओर से वादी के आवेदन का कोई विरोध नही किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी वाद बिन्दु का गठन भी नही हुआ है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–29/2021</u>

लगातार 02.11.2022	संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 12.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	